भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 239
जिसका उत्तर मंगलवार, 19 जुलाई, 2016 को दिया जाना है।

डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

239. श्री पी. नागराजन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डीजल से चलने वाले भारी वाहनों पर लगे प्रतिबंध की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में ऑटोमोबाइल उद्योग पर इस पाबंदी के प्रभाव को जानने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, नहीं। तथापि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एम. सी. मेहता विरुद्ध भारत का संघ और अन्य के मामले में 16 दिसम्बर, 2016 को 2000 सीसी से अधिक क्षमता वाले डीजल वाहनों के पंजीकरण पर 31 मार्च, 2016 तक दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है, जिसे बाद में 30 अप्रैल, 2016 तक के लिए बढ़ाया गया था। मामले की सुनवाई तक प्रतिबंध की अवधि आगे बढ़ा दी गई है।

(ख): जी, नहीं।

(ग): उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

****